


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमती रितू बाला व्याख्याता-अंग्रेजी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिंवरी, जोधपुर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना उपनाम श्रीमती रितू तनेजा परिवर्तित किया है।

अतः वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1(3) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 15.02.2018 के परिपैक्ष्य में श्रीमती रितू बाला व्याख्याता-अंग्रेजी, के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम श्रीमती रितू बाला के स्थान पर श्रीमती रितू तनेजा अंकित करने की विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


भविष्य में श्रीमती रितू बाला से संबंधित राजकीय आदेश, कार्यों, सेवा पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में परिवर्तित नाम "श्रीमती रितू तनेजा" से जारी किये जावें।


(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/नाम परिवर्तन/2015-16 दिनांक: 10/09/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिंवरी, जोधपुर।
7. श्रीमती रितू तनेजा, व्याख्याता-अंग्रेजी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिंवरी, जोधपुर।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/संस्थापन सी-2(प्रभाग-ओएसी)/एबी
9. रक्षित


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर